समक्ष माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

लल्लू प्रसाद पटेल पिता सूर्यभान पटेल, निवासी–तेलिहा महतमान, थाना, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

————निगरानीकर्ता

बनाम्

1– नारेन्द्र प्रताप यादव तनय सियाशरण यादव

2– शिवबहोर तनय रामफल यादव

दोनों निवासी–ग्राम घोघम, थाना, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

————गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हनुमना, जिला रीवा के प्रकरण क्र0–87/ए–19/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 21/01/2016।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

1– यह कि ग्राम पंचायत कैलाशपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम तेलिहा में हनुमना–सीधी मार्ग पर भू0ख0क्र0–110 जो कि शासन म0प्र0 की भूमि है, उस पर निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं का एक मकान का निर्माण आवास हेतु एवं लाइन वृक्ष एवं मन्दिर उक्त भूमि पर अर्सा पूर्व से बनाकर काबिज है। दिनांक 20/05/2015 को हल्क पटवारी द्वारा उक्त भूमि के सीमांकन किये जाने की कार्यवाही के दौरान निगरानीकर्ता को यह जांनकारी में बात लाई गई कि उक्त भूमि को अनावेदकगण द्वारा वर्ष 2012 में अपने नाम आवंटन न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना वृत्त खटखरी के राजस्व प्रकरण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग ४७०/दो/१६ जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	लल्लू/ नारेन्द्र	
3/ – 3 –2016	मैंने प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. यह निगरानी अनु अधि, हनुमना के प्र क्र ८७/अ-१९/१४-१५ में पारित आदेश दि २१-१-१६ के विरुद्ध प्रस्तुत है. इस आदेश से अनु अधि ने उनके समक्ष तहसीलदार, हनुमना के म प्र ग्रामों में दखल रहित भूमि [विशेष उपबन्ध] अधिनियम, १९७० (अधिनियम) के अधीन प्र क्र ६/अ-१९/१२-१३ में पारित आदेश दि २०-११-१२ के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अवधि बाधित होने का आधार लेकर ख़ारिज किया है. प्रस्तुत तर्कों और अभिलेखों के प्रकाश में मैं इस प्रकरण में निम्न बिंदु प्रमुख रूप से टीप और विचार योग्य पाता हूँ: [१] तहसीलदार के उक्त आदेश दि २०-११-१२ की जानकारी आवेदक (अनु अधि के समक्ष अपीलार्थी) ने उसे २०-५-१२ को मिलनी बताया है. आवेदक का कहना है कि जानकारी मिलने पर उसे दि २५-५-१५ को आदेश की नकल प्राप्त हुई, जिसके मात्र ९ दिन में दि ३-६-१५	

को उसने अनु अधि के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी जो जानकारी मिलने के केवल १४वें दिन ही थी और म्याद के भीतर थी.

मैं आवेदक के इस तर्क से सहमत हूँ कि यदि तहसीलदार के आदेश की जानकारी उसे २०-५-१५ को मिली थी तो दि ३-६-१५ पर प्रस्तुतीकरण के समय अपील म्याद के भीतर थी. यहाँ अनु अधि को यह देखने की आवश्यकता थी कि वास्तविकता में आवेदक को तहसीलदार के आदेश की जानकारी उसके द्वारा बताई गई दिनांक को ही मिली थी या उसे पहले से उस आदेश की जानकारी थी और फिर भी उसने प्रति लेने और अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब किया. अनु अधि ने इस बिंदु पर कोई ध्यान नहीं दिया है और निष्कर्ष भी नहीं निकले हैं.

[२] आवेदक का कहना है चूँकि विधि का गलत उल्लेख हो जाने से न्याय के व्यापक उद्देश्य का हनन नहीं होने चाहिए, इसलिए भले ही उसने अनु अधि के समक्ष

उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में म प्र भू रा सं की धारा ४४ का हवाला ले लिया हो और भले ही उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपील का विशिष्ट प्रावधान हो जिसकी वजह से संहिता की धारा ४४ में अपील ना की जानी हो, किन्तु फिर भी न्यायहित में अनु अधि को प्रकरण के गुणदोष के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को ख़ारिज नहीं करना चाहिए था और अपील को गुणदोष पर निराकृत करना चाहिए था.

मैं आवेदक के इस तर्क से भी सहमत हूँ क्योंकि अनेक न्यायदृष्टान्तों के माध्यम से यह सु-स्थापित है कि पक्षकारों द्वारा विधि का उल्लेख करने हुई तकनीकी त्रुटियों का आधार लेते हुए न्याय के व्यापक उद्देश्य को नज़रंदाज़ नहीं किया जानां चाहिए और पक्षकारों को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.

[३] आवेदक का कहना है कि अनावेदकों को वर्ष २०१२ में उस भूमि पर पट्टे दे दिए गए जो लम्बे समय से उसकी थी और जिसपर उसके मकान, मंदिर और वृक्ष

हैं, जिस बात की जानकारी उसे तब हुई जब अनावेक अपनी पट्टे की भूमि का सीमांकन करा रहे थे. उसका यह भी कहना है कि पट्टे पर दी गई भूमि राजमार्ग पर स्थित है, जिस कारण से वह उक्त अधिनियम की धारा ३(क)(चार) के अनुसार पट्टे पर नहीं दी जा सकती थी.

आवेदक का तर्क है कि ये अपीलीय प्रकरण में गुणदोष पर विचार हेतु पर्याप्त आधार हैं. मैं इस तर्क से सहमत हूँ.

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मेरा सर्वप्रथम तो यह मानना है कि यदि इस प्रकरण को इससे ज्यादा रा मं चलाया गया तो जिस स्तर से पक्षकारों के मध्य न्याय होना है, उस स्तर पर विचारण अनावश्यक विलंबित होगा.

साथ ही मर यह भी मानना है कि अनु अधि को उनके अपीलीय प्रकरण को अधिनियम के अंतर्गत की अपील मानकर पहले विलम्ब के बिंदु में यह देखना चाहिए कि कहीं आवेदक को उसके द्वारा बताई गई दिनांक २०-५-१५ के पूर्व तहसीलदार के आदेश की जानकारी तो नहीं थी. यदि आवेदक को उस

दिनांक के पूर्व जानकारी नहीं थी तो अनु अधि को उनके न्यायालय की अपील का निराकरण गुणदोष पर ही करना चाहिए.

यदि अनु अधि यह पाते हैं कि आवेदक को तहसीलदार के आदेश की जानकारी उसके द्वारा बताई गई दिनांक २०-५-१५ के पूर्व से थी किन्तु फिर भी उसने विलम्ब कारित किया तो प्रकरण के गुणदोष पर निराकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उभयपक्ष को सुनकर, उन्हें विलम्ब माफ़ी के बिंदु पर नए सिरे से योग्य निर्णय पारित करना चाहिये.

अतः, मैं उपरोक्त निर्देश अनु अधि, हनुमना को देते हुए उनका आक्षेपित आदेश दि २१-१-१६ अपास्त करता हूँ.

इसी के साथ यह निगरानी स्वीकार करता हूँ.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं अनु अधि, हनुमना सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य